

मिसिल संख्या 6/4/2014-एसडी/एएम
 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
 प्रशासन (सूत्रधार)

दिनांक- 18/03/2019

अत्यंत आपात स्थितियों में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र हितकारी निधि के सदस्यों के लिए भुगतान के संवितरण के लिए एसओपी-

कई आपातिक एवं अप्रत्याशित स्थितियों जैसे कर्मचारी के अचानक एवं गंभीर रोग से कभी कभी कर्मचारी को काफी लम्बे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित होने के कारण बिना वेतन के रहना पड़ता है। ऐसी बीमारी के कारण या मृत्यु के कारण ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को काफी वित्तीय कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर तात्कालिक वित्तीय सहायता के रूप में हितकारी निधि आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए जिससे निर्भर परिवार अपनी वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ने एक हितकारी निधि की स्थापना की है, जिसे निधि के रूप में संदर्भित किया गया है। निधि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र से प्राप्त वित्तीय सहायता तथा सदस्यों के रूप में नामांकित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कर्मचारियों के अंशदान द्वारा संचालित की जाती है।

दिनांक 18/04/2014 को आयोजित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र की न्यासी मंडल की 34वीं बैठक ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कर्मचारियों के लिए हितकारी एवं कल्याण निधि पर योजना का अनुमोदन किया तथा योजना पर किए गए छोटे संशोधनों को दिनांक 3 अगस्त 2018 को आयोजित कार्यकारी समिति की 77वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- यह योजना क्षेत्रीय केन्द्रों में नियमित/स्थाई कर्मचारियों सहित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के नियमित/स्थाई कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। और, यह योजना सांस्कृतिक सूचना विज्ञान प्रयोगशाला तथा पूर्व-भवन परियोजना कर्मियों के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप में उपलब्ध रहेगी।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कर्मचारियों को न्यूनतम वित्तीय सहायता का अनुदान निम्न परिस्थितियों में मिलेगा:
 - कर्मचारी की मृत्यु : 50,000 रु.
 - कर्मचारी की गंभीर बीमारी: 75,000/- रु.

(केंसर, दिल की गंभीर सर्जरी, हेपेटिक फेल्योर, अंग का विफल होना, तथा ऐसा मस्तिष्काधात, जिसमें सर्जरी की आवश्यकता हो)

- ० दुर्घटना जिसके कारण कर्मचारी को स्थाई अपंगता हो जाए - 50,000/- रु.

(ध्यान दें: गंभीर बीमारी तथा स्थाई अपंगता के अंतर्गत अनुदान का निर्धारण सरकारी अस्पताल/सीजीएचएस अनुमोदित अस्पताल द्वारा घोषित अपंगता के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा

अंशदान

प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिमाह 50/- रु. अंशदान देना होगा, जो कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह काटा जाएगा।

पात्रता

योजना के लिए पात्रता निम्नानुसार है:

- कर्मचारी की मृत्यु के मामले में धन का भुगतान कर्मचारी के जीवन साथी को दिया जाएगा।
- दुर्घटना/गंभीर बीमारी के मामले में, राशि का भुगतान सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में दिया जाएगा।
- यदि कर्मचारी अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा या विधुर है, तो लाभ का भुगतान इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के प्रोविडेंट फंड के नियम के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा।

खातों का प्रबंधन

निधि का लेखा तथा प्रबंधन एक समिति अर्थात् इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र कर्मचारी हितकारी एवं कल्याण निधि समिति द्वारा किया जाएगा।

हितकारी एवं कल्याण निधि की योजना में किए गए संशोधनों के अनुसार सदस्य सचिव को एक समिति का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें अकादमिक एवं प्रशासनिक कर्मियों के प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होंगे।

सदस्य सचिव ने समिति में निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित किया है:

- I. डॉ. रमेश सी. गौड़, निदेशक (एल & आई): अध्यक्ष
- II. श्री बी. बी. शर्मा : उप सचिव
- III. श्री जयन्त चटर्जी, ए.ओ. : उप वित्तीय सलाहकार एवं वरिष्ठ
- IV. डॉ. सुषमा जत्तू : एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रेड II
- V. श्रीमती सुगाथा उदयकुमार : यूडीसी

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र हितकारी निधि के सभी सदस्यों को समिति के संज्ञान के लिए अत्यंत आपात स्थितियों में निदेशक (प्रशासन) के पास अपने अनुरोध भेजने होंगे।

ए.आ०.ए०/१००/३०२

(आर. ए.रंगनेकर)

निदेशक (प्रशासन)